

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2020/1420

दिनांक:-18/02/2020

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड-दौसा, उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम जयपुर के अधीन सवाई माधोपुर आवासीय योजना में रणथम्भौर रोड़ पर शेष व्यावसायिक भूमि (682.26 वर्ग मीटर) पर वर्तमान में स्थित संरचनाओं को हटाकर भूमि का निस्तारण नीलामी के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर एवं उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय, जयपुर की अनुशंसा के आधार पर करने की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है एवं मण्डल के आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1034/650 दिनांक 28.01.2014 एवं 310 दिनांक 04.02.2020 में वर्णित शर्तें यथावत रहेगी।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 13/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।



(कश्मी कौर)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/मु0, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-दौसा, राजस्थान आवासन मण्डल, दौसा।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



मुख्य सम्पदा प्रबन्धक